

समक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ
दिनांक 09.09.2023

स्थान : उत्तरकाशी।
पीठ संख्या : 2
वाद संख्या : 569/2023
वादी : उत्तराखण्ड राज्य
अभियुक्त : हर्षू लाल
वाद की प्रकृति : एम0वी0 एक्ट।

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, : संजीव कुमार।
सदस्य/पैनल अधिवक्ता : एडवोकेट श्री अभयराज सिंह बिष्ट।

पंचाट

आज पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ नं.-2 के समक्ष पेश हुई। पुकारा।
परिवादी/सक्षम प्राधिकारीगण द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है कि उन्होंने उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग-1 के नोटिफिकेशन संख्या 418/ix-1/53/2019 देहरादून, दिनांक 24 सितम्बर,
2019 के अनुपालन में धारा 200 मोटर वाहन अधिनियम के अधीन मामले का शमन कर लिया
है तथा चालानी वाद समाप्त करने की प्रार्थना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
मामला शमनीय प्रकृति का है, अतः शमन के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता
है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

(अभयराज सिंह बिष्ट)
सदस्य/पैनल अधिवक्ता
उत्तरकाशी।

(संजीव कुमार)
पीठासीन अधिकारी/
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।